हरीराम

बनाम

ज्योति प्रसाद एवं अन्य

(2011 की सिविल अपील संख्या 1042)

27 जनवरी, 2011

[डॉ. मुकुन्दराम शर्मा तथा अनिल आर. दवे जे.जे.]

परिसीमा अधिनियम, 1963 धारा 22 यह आक्षेप लगाते हुए वाद दायर किया गया कि प्रतिवादियों ने सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है- ट्रायल कोर्ट ने वाद डिक्री किया और स्थायी निषेधाज्ञा जारी की- डिक्री को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वाद स्वयं परिसीमा द्वारा वर्जित था- माना गया: यह नहीं कहा जा सकता है कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है क्योंकि सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण निरंतर गलत था और कार्यवाही का एक निरंतर हैतुक मौजूद था- परिसीमा अधिनियम की धारा 22 लागू होगी - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

आदेश I नियम 8 - वाद दायर किया गया जिसमें आक्षेप लगाया गया कि प्रतिवादियों ने अवैध अतिक्रमण के माध्यम से 10 फीट चौड़ी सार्वजनिक सड़क पर अवैध और अनाधिकृत निर्माण किया था- ट्रायल कोर्ट

ने मुकदमे का फैसला किया और अनाधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश देते हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की - डिक्री को चुनौती दी गई, आधार यह है कि आदेश 1 नियम 8 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण वाद खराब था- माना गया: एक प्रतिनिधि वाद होने के अलावा, वाद एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था जिसका 10 फीट चौड़ाई की सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने का अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित था- चूंकि प्रभावित व्यक्ति ने स्वयं वाद दायर किया था, इसलिए आदेश 1 नियम 8 के प्रावधानों के कथित गैर-अनुपालन के आधार पर मुकदमे को खारिज नहीं किया जा सकता है- किसी समुदाय का कोई भी सदस्य अपने अधिकार का दावा करने के लिए एवं सफलतापूर्वक वाद ला सकता है। सामुदायिक संपत्ति या अतिक्रमण हटाने की मांग करके ऐसी संपत्ति की रक्षा के लिए ऐसे मुकदमे में उसे आदेश 1 नियम 8 की आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं है- इस मामले को देखते हुए, दायर किया गया वाद कायम रखने योग्य था।

उत्तरदाताओं द्वारा दायर वाद में आक्षेप लगाया गया कि प्रतिवादियों ने अवैध अतिक्रमण के माध्यम से 10 फीट चौड़ी 8 सार्वजनिक सड़क पर अवैध/अनाधिकृत निर्माण किया है- ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे पर फैसला सुनाया और अनाधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश देते हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की - प्रथम अपीलीय न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा

भी डिक्री की पुष्टि की गई- चुनौती, इस आधार पर दी गयी कि यह साबित नहीं हुआ कि वाद भूमि एक सार्वजनिक सड़क थी जिसमें अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण किया गया था - अभिनिर्धारित किया: नीचे की सभी तीन अदालतें, अर्थात् उच्च न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय और विचारण न्यायालय ने भी साक्ष्य की विवेचना पर माना कि विवादित वाद भूमि सार्वजनिक सड़क का एक हिस्सा है जहां अपीलकर्ता ने अतिक्रमण किया था - उपरोक्त निष्कर्ष तथ्य के निष्कर्ष हैं - अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य साबित करते हैं कि वहां एक 10 फीट चौड़ाई की सार्वजनिक गली मौजूद थी एवं अपीलकर्ताओं द्वारा वाद संपत्ति पर अतिक्रमण किया था-तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पुष्टि की गई।

उत्तरदाताओं ने यह आरोप लगाते हुए सिविल मुकदमा दायर किया कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी और एक अन्य प्रतिवादी ने अवैध अतिक्रमण के माध्यम से 10 फीट चौड़ी सार्वजनिक सड़क पर अवैध/अनधिकृत निर्माण किया था, और तदनुसार प्रतिवादियों के खिलाफ अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने मुकदमे का फैसला सुनाया और अनाधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश देते हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय (अतिरिक्त जिला न्यायाधीश) द्वारा की गई थी, और दूसरी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई थी।

प्रत्यर्थीगण ने यह आक्षेप लेते हुए वाद दायर किया कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी एवं अन्य प्रतिवादी ने अवैध/अनाधिकृत निर्माण करते हुए 10 फीट चौडी सार्वजनिक गली में अतिक्रमण किया है और अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध आज्ञापक निषेधाज्ञा चाही। ट्रायल कोर्ट ने वाद डिक्री किया एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए अनाधिकृत निर्माण हटाने का निर्देश दिया। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्रथम अपीलीय न्यायालय (अतिरिक्त जिला न्यायाधीश) और फिर द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी।

हस्तगत अपील में अपीलकर्ता द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री में तीन आधारों पर चुनौती दी गयी 1. वाद स्वयं परिसीमा द्वारा बाधित था 2. वाद आदेश 1 नियम 8 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों की अनुपालना के कारण खराब हो गया था 3. ना तो ऐसा कोई कार्यालयी दस्तावेज पेश हुआ अथवा साक्षी परीक्षित हुआ। जिससे यह स्थापित व प्रमाणित हुआ कि वाद भूमि जिस पर अपीलकर्ता द्वारा अतिकृमण किया गया एक सार्वजनिक गली थी।

न्यायालय ने अपील खारिज की। अभिनिर्धारित किया:-

1.1. अपीलकर्ता के तर्क व अभिलेख से पता चलाता है कि दावा मियाद अवधि से बाधित था। हालाँकि, उक्त तथ्य के बावजूद कोई विवाद्यक नहीं बनाया गया और न ही अपीलकर्ता द्वारा परिसीमा के विवाद्यक को

तैयार न करने के लिए कोई आपत्ति की गई। अपीलकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष मियाद के संबंध में कोई तर्क पेश नहीं किया। उक्त याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष की गई थी, जिसने माना था कि हालांकि ऐसी याचिका ट्रायल कोर्ट या अपीलीय अदालत के समक्ष नहीं उठाई गई थी, लेकिन सीमा की धारा 3 के प्रावधानों के मद्देनजर इसे उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है। अधिनियम जो अदालत पर ऐसी याचिका पर चर्चा करने और विचार करने का दायित्व रखता है, इस तथ्य के बावजूद कि विचारण अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत के समक्ष ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई गई और बहस नहीं की गई। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त याचिका पर विचार करने के बाद कहा कि मुकदमे को परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता क्योंकि सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण एक निरंतर गलत बात है और इसलिए, कार्रवाई का एक निरंतर कारण मौजूद है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि शुरुआत में सीआरपीसी की धारा 133 के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय तक पूरी ईमानदारी से उठाया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय ने माना कि पक्षों के बीच विवाद को बेहतर ढंग से हल किया जा सकता है यदि उचित नागरिक वाद दायर किया जाए और जब तथ्य के विवादित प्रश्नों के संबंध में सबूत पेश किए जाएं। इसके तुरंत बाद अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करने की मांग करते हुए उपरोक्त वाद दायर

किया गया। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण करना लगातार कार्यवाही का कारण है, उक्त तर्क में कोई दम नहीं है। [पैरा 15, 16, 17] [1086-जी-एच;1087-ए-ई]

1.2. अतिक्रमण का कोई भी कार्य कर्ता द्वारा किया गया गलत कार्य है। इस तरह का अतिक्रमण जब किसी सार्वजनिक संपत्ति पर किया जाता है जैसे कि सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण तो यह एक गंभीर गलत होगा, क्योंकि इस तरह का गलत काम कई लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है और इसलिए यह एक सार्वजनिक गलती है। जब तक सड़क पर स्वतंत्र और निर्बाध पहुंच और आवाजाही में कोई रुकावट या रुकावट पैदा की जाती है, तब तक गलत कार्य जारी रहता है, जिससे व्यक्तियों को सार्वजनिक सड़क का स्वतंत्र और निर्बाध रूप से उपयोग करने से रोका जाता है। इसलिए, गलत और चोट का एक निरंतर स्रोत होने के नाते, कार्यवाही का कारण तब तक बनाया जाता है। जब तक ऐसी चोट जारी रहती है और जब तक कर्ता ऐसी चोट पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। [पैरा 18] [1087-एफ-एच; 1088-ए]

1.3. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 22 में प्रावधान है कि "अनुबंध के निरंतर उल्लंघन के मामले में या निरंतर अपकृत्य के मामले में, उस समय के प्रत्येक क्षण में परिसीमा की एक नई अवधि शुरू हो

जाती है, जिसके दौरान उल्लंघन या अपकृत्य, जैसा भी मामला हो, जारी है।" पहले के एक मामले में, इस अदालत ने माना था कि जब किसी निश्चित भूमि पर चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, रास्ते के अधिकार का दावा किया जाता है - जिस पर अपकृत्य करने वाले के पास कब्जे का कोई अधिकार नहीं है, तो उल्लंघन जारी रहेगा, जिसके लिए धारा के प्रावधान परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 22 लागू होगी। इसलिए, इस दलील में कोई दम नहीं है कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है। [पैरा 19] [1088-सी-ई]

शंकर दस्तीदार बनाम श्रीमती बंजुला दस्तीदार और अन्य, एआईआर 2007 एससी 514--' पर विश्वास किया गया।

2. एक प्रतिनिधि वाद होने के अलावा, यह वाद एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था जिसका 10 फीट चौड़ी सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने का अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित था। चूंकि प्रभावित व्यक्ति ने स्वयं वाद दायर किया है, इसलिए सीपीसी के आदेश । नियम 8 के प्रावधानों के कथित गैर-अनुपालन के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है। किसी समुदाय का कोई भी सदस्य समुदाय की संपत्ति पर अपना अधिकार जताने के लिए या ऐसी संपत्ति की रक्षा के लिए अतिक्रमण हटाने की मांग करके सफलतापूर्वक वाद ला सकता है और ऐसे मुकदमे में उसे आदेश । नियम 8 सीपीसी की आवश्यकताओं का पालन करने की

आवश्यकता नहीं है। मामले को देखते हुए, वादी/प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर वाद चलने योग्य था। [पैरा - 20, 22 और 23] [1088-एफ-जी; 1089-बी-डी]

कल्याण सिंह, लंदन प्रशिक्षित कटर, जौहरी बाजार, जयपुर बनाम श्रीमती छोटी और अन्य, एआईआर 1990 एससी 396 - संदर्भित।

3.1. वाद शुरू में दो प्रतिवादियों के खिलाफ शुरू किया गया था। अपीलकर्ता उक्त मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 2 था। जहां तक प्रतिवादी नंबर 1 का सवाल है, रिकॉर्ड से पता चलता है कि क्षेत्र की पंचायत ने निर्णय लिया कि उन दोनों ने सार्वजनिक संपत्ति और सड़क पर अतिक्रमण किया है और इसलिए उन्हें अतिक्रमण हटा देना चाहिए। अभिलेखों से पता चलता है कि पंचायत के उपरोक्त निर्णय के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 ने यह स्वीकार करने के बाद अपना अतिक्रमण हटा दिया कि उसने 10 फीट चौड़ी सड़क के कुछ क्षेत्र पर भी अतिक्रमण किया था, जिसे उसने पंचायत के समक्ष और बाद में स्वीकार किया था और बाद में उन्होंने उक्त अतिक्रमण को हटा दिया। उपरोक्त तथ्य पीडब्लू-1, पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 के बयानों से स्थापित होता है जो उक्त पंचायत में उपस्थित थे और भाग लिया था और पंचायत के समक्ष उक्त स्वीकारोक्ति की पुष्टि भी की थी। [पैरा 24] [1089-ई-एच; 1090-ए]

3.2. वादी प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा कुल 8 गवाहों को परीक्षित कराया। पीडब्लू-3 जो परीक्षित हुआ था, उसने यह साबित कर दिया कि बी.डी.ओ. ने साबित कर दिया, जिसने 18.1.1995 को विवादित संपत्ति का दौरा किया था, जिसके बाद उसने एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। जिसमें प्रमाणित किया गया था कि विवादित सड़क पर अपीलकर्ता द्वारा अतिक्रमण किया गया है। पूरे क्षेत्र के मूल मालिक, पीडब्लू-ए 4 ने अपने साक्ष्य में विशेष रूप से कहा था कि उन्होंने वर्ष 1981-82 में एक कॉलोनी बनाई थी और उन्होंने वादी के साथ-साथ प्रतिवादियों और अन्य निवासियों को भूखंड बेच दिए थे। प्रतिवादी/अपीलकर्ता के गांव और भूखंड के पूर्वी हिस्से की ओर उसने 10 फीट चौड़ी एक सड़क छोड़ दी थी। वादी/प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से प्रस्तुत किए गए उपरोक्त साक्ष्य के विपरीत, अपीलकर्ता ने खुद को डीडब्ल्यू-1 के रूप में परीक्षित कराया। जिसमें उन्होंने केवल यह रुख अपनाया कि विवादित संपत्ति सड़क का हिस्सा नहीं है और प्लॉट खरीदने के बाद उन्होंने घर का निर्माण किया था और उक्त तथ्य के बावजूद कोई आपत्ति नहीं ली गई और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने घर भी बनाया है- उक्त विवादित वाद संपत्ति के एक हिस्से पर। उपरोक्त साक्ष्यों की सराहना करने पर, तीनों अदालतों अर्थात् उच्च न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय और विचारण न्यायालय ने भी माना कि उपरोक्त विवादित वाद भूमि सार्वजनिक सड़क का एक हिस्सा है जहां अपीलकर्ता ने

मकान के एक हिस्से पर निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। इसलिए उपरोक्त निष्कर्ष तेजी से निकाले गए हैं। सार्वजनिक अधिकारी अर्थात् पटवारी से पूछताछ की गई, जिन्होंने बीडीओ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को साबित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि मुकदमे की संपत्ति सार्वजनिक सड़क का हिस्सा है। [पैरा 26,27] [1090-ई-जी]

3.3. वादी/प्रतिवादी द्वारा दायर साइट योजना (एक्सटेंशन पीडब्लू-7 ए) साबित करती है और स्थापित करती है कि 10 फीट चौड़ी एक सार्वजनिक सड़क है। जैसा कि पीडब्लू-4 के बयान से पता चला है, क्षेत्र के सभी बिक्रय पत्रों में, 10 फीट चौड़ाई की उपरोक्त सड़क दिखाई गई है और उक्त साक्ष्य अखण्डनीय हैं। इस प्रकार वहां 10 फीट चौड़ी सड़क मौजूद है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह भी साबित होता है कि अपीलकर्ता ने 10 फीट चौड़ी वाद वाली संपत्ति पर अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री में कोई कमजोरी नहीं है और प्रथम अपीलीय न्यायालय और दूसरी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। [पैरा 28] [1090-एच;1091-ए-बी]

4. विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पुष्टि की जाती है। यदि अपीलकर्ता 60 दिनों की अवधि के भीतर 8 अनाधिकृत अतिक्रमण को खाली करने और हटाने में विफल रहता है, तो वादी/प्रतिवादी नंबर 1 के

लिए कानून के अनुसार डिक्री निष्पादित करने का विकल्प खुला रहेगा। [पैरा 29] [1091-सी-डी]

संदर्भ केस कानून :

एआईआर 2007 एससी 514 पैरा 19 पर निर्भर था

एआईआर 1990 एससी 396 पैरा 21 का हवाला दिया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1042/2011।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ में आर.एस.ए नंबर 2698/2008 के निर्णय और आदेश दिनांक 31.07.2009 से।

अनूप जी. चौधरी और जे. चौधरी, देवेन्द्र कुमार सिंह, अजय ए. और प्रेम सुंदर झा अपीलकर्ता की ओर से।

जसबीर सिंह मलिक, एकता कादियान, देवेन्द्र कुमार शर्मा और एस.के. सभरवाल उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय डॉ मुकन्दराम शर्मा जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गयी।

2. इस निर्णय और आदेश के द्वारा, हम उपरोक्त अपील का निपटान करने का प्रस्ताव करते हैं, जो अपीलकर्ता द्वारा 2008 के आरएसए संख्या 2698 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित होने के बाद दायर की गई है तथा 2003 के सिविल सूट नंबर 160 में विचारण

न्यायालय, जिसे 2007 के सिविल अपील नंबर 92 में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, जो कि पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि करता है। इसलिए, ये तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान अपील तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ निर्देशित है। उच्च न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय अर्थात अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का निर्णय और विचारण न्यायालय जो सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का न्यायालय था।

3. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष उठाए गए तर्कों को देखने के लिए वर्तमान अपील को स्थापित करने के लिए कुछ बुनियादी तथ्यों को निर्धारित करना आवश्यक होगा।

4. यह वाद प्रतिवादी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए दायर किया गया था कि प्रतिवादी नंबर 1 सहित सभी छह व्यक्तियों का विवादित सड़क के साथ-साथ उसी क्षेत्र के निवासियों का भी साझा हित है। इसमें कहा गया था कि उत्तरदाताओं के आवासीय मकान साइट योजना मै हैं, जो इंगित करती है कि आम जनता के प्रवेश और निकास के लिए एक आम सड़क है। वादपत्र में यह आक्षेप लगाया गया था कि पहले बाल किशन दास, जिनकी जांच पीडब्लू-4 के रूप में की गई थी, पूरे क्षेत्र के मूल मालिक थे, जिसमें से उन्होंने विभिन्न पक्षों के पक्ष में भूखंड बेचकर एक कॉलोनी बनाई थी। वादपत्र में यह भी कहा गया था कि उस समय ही कॉलोनी के सभी भूखंड धारकों के सामान्य उपयोग के लिए साइट प्लान में

वर्णित 10 फीट चौड़ी सार्वजनिक सड़क जमीन पर छोड़ दी गई थी, लेकिन आगे आक्षेप यह था कि अपीलकर्ता /प्रतिवादी की अपने भूखंड पर कब्जे के समय से ही उपरोक्त विवादित गली पर बुरी नजर थी और प्रतिवादी क्रमांक 1 तथा उसने अर्थात् प्रतिवादी क्रमांक 2 ने उसके बड़े हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया, जिससे गली संकरी हो गई जिससे उक्त सड़क के उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है। संयोग से यह वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश । नियम 8 [जिसे संक्षेप में 'सी.पी.सी.' कहा जाता है] का उपयोग करते हुए दायर किया गया था।

5. वादपत्र में आगे कहा गया है कि पहले प्रतिवादी नंबर 1 ने शिकायतकर्ता के रूप में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 133 के तहत शिकायत दर्ज की थी, जिसका फैसला प्रत्यर्थी संख्या-१ के पक्ष में किया गया था और प्रतिवादी संख्या 1 और उक्त निर्णय एसडीएम द्वारा पारित किया गया था।

6. जब मामले को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, तो उच्च न्यायालय ने माना कि जो मामला उत्तेजित है वह विवादित तथ्यों से संबंधित है और इसलिए सबूत की आवश्यकता है और पक्षों के बीच विवाद का प्रभावी ढंग से निर्णय केवल तभी किया जा सकता है जब कोई सिविल वाद हो, दायर किया। जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना था कि पक्षों के बीच विवाद का फैसला सिविल वाद दायर करके

किया जाएगा, परिणामस्वरूप उपरोक्त वादपत्र सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत में दायर किया गया था, जिसे 2003 के सिविल सूट संख्या 160 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

7. प्रतिवादी नंबर 1 और प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में वर्तमान अपीलकर्ता ने एक संयुक्त लिखित बयान दायर किया, जिसमें मुकदमे की रखरखाव के संबंध में और वाद में उठाए गए तर्कों की योग्यता के संबंध में आपत्तियां उठाई गईं। पक्षों की दलीलों के आधार पर, विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रभाव से चार मुद्दे तय किए गए:

1. क्या प्रतिवादियों ने अवैध अतिक्रमण के माध्यम से सार्वजनिक सड़क पर अवैध/अनधिकृत निर्माण किया है, जैसा कि संलग्न साइट प्लान में लाल रंग में एबीसीडी द्वारा दर्शाया गया है, जो गांव मतलौडा, जिला पानीपत ? ओपीपी में स्थित है।

2. यदि वाद संख्या 1 का निर्णय वादी के पक्ष में होता है, तो क्या वादी भी प्रार्थना के अनुसार निषेधाज्ञा का हकदार है? ओपीपी।

3. क्या वादी द्वारा दायर वाद वर्तमान स्वरूप में पोषणीय नहीं है? ओपीडी।.

4. अनुतोष

8. अपने मामले को साबित करने के लिए, वादी/प्रतिवादी नंबर 1 ने 8 गवाहों की जांच की और कुछ दस्तावेज पेश किए, जबकि प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में वर्तमान अपीलकर्ता ने एकमात्र गवाह के रूप में डीडब्ल्यू-1 के रूप में खुद की जांच की। पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को दर्ज करने के बाद विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने पक्षों को सुना और उसके बाद 6.12.2007 को एक निर्णय और डिक्री द्वारा मुकदमे का फैसला सुनाया और जमीन से अनाधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश देते हुए एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई, जैसा कि दिखाया गया है साइट योजना में चूँकि, प्रतिवादी क्रमांक 1 के पास था। पहले ही अवैध निर्माण के अपने हिस्से को हटा दिया गया था, वर्तमान अपीलकर्ता को ऐसे सभी निर्माणों को हटाने के लिए एक महीने का समय दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर प्रतिवादी नंबर 1 को अपने खर्च पर उक्त निर्माण को हटाने का कानूनी अधिकार दिया गया था, जिसे प्रतिवादियों से वसूलने की अनुमति दी गई थी। प्रतिवादियों को भविष्य में उपरोक्त 10 फीट रास्ते पर कोई और निर्माण करने से रोक दिया गया जैसा कि पीडब्लू-7 ए में बताया गया है।

9. उपरोक्त निर्णय और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पानीपत के समक्ष एक अपील दायर की गई थी, जबकि अपील को 2007 की सिविल अपील संख्या 92 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अपील की सुनवाई अतिरिक्त

जिला न्यायाधीश द्वारा की गई थी। न्यायाधीश ने अपने निर्णय और डिक्री दिनांक 25.7.2008 द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की, जिसे 2008 के आरएसए नंबर 2698 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

10. दिनांक 31.7.2009 के एक निर्णय और डिक्री द्वारा, उपरोक्त अपील को उच्च न्यायालय ने भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उपरोक्त अपील में कानून का कोई विशिष्ट प्रश्न शामिल नहीं है।

11. अभी भी व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपील अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई थी जिसमें नोटिस जारी किया गया था और उसकी तामील पर, हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना।

12. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अनूप जी. चौधरी ने बहुत जोरदार ढंग से तर्क दिया कि नीचे की अदालतों द्वारा पारित कोई भी निर्णय और आदेश उचित नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वाद स्वयं परिसीमा द्वारा वर्जित था, लेकिन उक्त तथ्य के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि लिखित बयान में एक विशिष्ट रुख अपनाया गया था कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है, विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था और न ही कोई निर्णय लिया गया था। उक्त मुद्दे पर विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रतिपादन

किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई याचिका को इस आधार पर खारिज करना उचित नहीं था कि कार्यवाही का कारण, कार्यवाही का एक सतत कारण है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है। उनका दूसरा तर्क यह था कि अपीलकर्ता द्वारा किए गए अतिक्रमण के संबंध में किसी भी आधिकारिक दस्तावेज के अभाव में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए था जो यह दर्शाता हो कि वास्तव में क्षेत्र के निवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सार्वजनिक सड़क थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह साबित करने और स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि यह एक सार्वजनिक सड़क थी जिस पर अपीलकर्ता द्वारा अतिक्रमण किया गया था। उनका अंतिम निवेदन यह था कि जैसा कि वादपत्र में दिखाया गया है, वाद प्रतिनिधि क्षमता में था, लेकिन मामला स्थापित करने की औपचारिकताओं यानी प्रतिनिधि वाद का पालन नहीं किया गया था और इसलिए मुकदमे को शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

13. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील की उपरोक्त दलीलों को उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिन्होंने हमारे सामने नीचे की तीन अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को रखा था और उसी पर भरोसा करते हुए, यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी। बिल्कुल कोई योग्यता नहीं।

14. पक्षों की ओर से उपस्थित वकील की उपरोक्त दलीलों के आलोक में, हमने अभिलेखों का भी बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम सबसे पहले अपीलकर्ता द्वारा हमारे समक्ष उठाई गई परिसीमा की याचिका पर विचार करेंगे।

15. हमारे सामने रखे गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपीलकर्ता ने अपने लिखित बयान में यह दलील दी कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है। हालाँकि, उक्त तथ्य के बावजूद कोई मुद्दा नहीं बनाया गया और न ही अपीलकर्ता द्वारा परिसीमा के मुद्दे को तैयार न करने के लिए कोई शिकायत की गई।

16. अभिलेखों को देखने पर, हमें नहीं पता कि अपीलकर्ता ने परिसीमा की याचिका के संबंध में ट्रायल कोर्ट के समक्ष और प्रथम अपीलीय अदालत के समक्ष कोई प्रस्तुतीकरण किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष की गई है। उच्च न्यायालय के समक्ष की गई याचिका पर उच्च न्यायालय ने गहन विचार किया और उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि ऐसी याचिका ट्रायल कोर्ट या अपीलीय अदालत के समक्ष नहीं उठाई गई थी, फिर भी इसे उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है। न्यायालय परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के मद्देनजर, जो न्यायालय पर ऐसी याचिका पर चर्चा करने और उस पर विचार करने का दायित्व रखता है, इस तथ्य के बावजूद कि

विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई गई थी और न ही उस पर बहस की गई थी।

17. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त याचिका पर विचार करने के बाद माना कि मुकदमे को परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता क्योंकि सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण एक निरंतर गलत बात है और इसलिए, कार्रवाई का एक निरंतर कारण मौजूद है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि शुरुआत में सीआरपीसी की धारा 133 के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय तक पूरी ईमानदारी से उठाया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय ने माना कि पक्षों के बीच विवाद को बेहतर ढंग से हल किया जा सकता है यदि उचित नागरिक वाद दायर किया जाए और जब तथ्य के विवादित प्रश्नों के संबंध में सबूत पेश किए जाएं। रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि उसके तुरंत बाद एक अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करने की मांग करते हुए उपरोक्त वाद दायर किया गया था। .उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कार्यवाही का एक सतत कारण है, हमें उक्त विवाद में कोई मजबूत पक्ष नहीं मिलता है।

18. अतिक्रमण का कोई भी कार्य कर्ता द्वारा किया गया गलत कार्य है। सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण की तरह सार्वजनिक संपत्ति पर किया गया ऐसा अतिक्रमण एक गंभीर गलत होगा, क्योंकि इस तरह का गलत

काम कई लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है और इसलिए यह एक सार्वजनिक गलती है। जब तक सड़क पर मुक्त और निर्बाध पहुंच और आवाजाही में कोई रुकावट या रुकावट पैदा की जाती है, तब तक गलत कार्य जारी रहता है, जिससे व्यक्तियों को सार्वजनिक सड़क का स्वतंत्र और निर्बाध रूप से उपयोग करने से रोका जाता है। इसलिए, गलत और चोट का एक निरंतर स्रोत होने के नाते, कार्यवाही का कारण तब तक बनाया जाता है जब तक ऐसी चोट जारी रहती है और जब तक कर्ता ऐसी चोट पैदा करने के लिए जिम्मेदार है।

19. इस स्तर पर परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 22 का संदर्भ लेना और उस पर भरोसा करना उचित होगा, जो इस प्रकार है: '

> "अनुबंध के निरंतर उल्लंघन के मामले में या निरंतर अपकृत्य के मामले में, समय के प्रत्येक क्षण में सीमा की एक नई अवधि चलनी शुरू हो जाती है, जिसके दौरान उल्लंघन या अपकृत्य, जैसा भी मामला हो, जारी रहता है।"

इस अदालत के पास एआईआर 2007 एससी 514 में रिपोर्ट किए गए शंकर दस्तीदार बनाम श्रीमती बंजुला दस्तीदार और अन्य के मामले में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 22 से निपटने का अवसर था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जब रास्ते का अधिकार होता है दावा किया गया है कि एक निश्चित भूमि पर चाहे सार्वजनिक हो या निजी, जिस पर

टोर्ट-टीज़र के पास कब्जे का कोई अधिकार नहीं है, उल्लंघन जारी रहेगा, जिस पर सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 22 के प्रावधान लागू होंगे। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में इस दलील में कोई दम नहीं है कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है।

20. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा अगली दलील जो उठाई गई और जोरदार तर्क दिया गया, वह यह थी कि सीपीसी के आदेश । नियम 8 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण वाद खराब था। उक्त निवेदन भी बिना किसी योग्यता के पाया गया है क्योंकि एक प्रतिनिधि वाद होने के अलावा, यह वाद एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था जिसका 10 फीट चौड़ाई की सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने का अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित था। चूंकि प्रभावित व्यक्ति ने स्वयं वाद दायर किया है, इसलिए सीपीसी के आदेश । नियम 8 के प्रावधानों के कथित गैर-अनुपालन के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है।

21. इस संबंध में, हम कल्याण सिंह, लंदन प्रशिक्षित कटर, जौहरी बाजार, जयपुर बनाम में सुप्रीम के फैसले का उचित उल्लेख कर सकते हैं। श्रीमती छोटी और अन्य. एआईआर 1990 एससी 396 में रिपोर्ट किया गया। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 13 में, इस न्यायालय ने माना है कि वाद किसी विशेष समुदाय के प्रतिनिधि द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन

यह अपने आप में प्रतिनिधि मुकदमे के रूप में मुकदमे का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सीपीसी के आदेश । नियम 8 के तहत न्यायालय की अनुमति अनिवार्य है।

22. उक्त निर्णय के पैराग्राफ 14 में, यह भी माना गया था कि किसी समुदाय का कोई भी सदस्य समुदाय की संपत्ति पर अपना अधिकार जताने के लिए या ऐसी संपत्ति की रक्षा के लिए वहां से अतिक्रमण हटाने की मांग करके सफलतापूर्वक वाद ला सकता है और ऐसे मुकदमे में उसे आदेश । नियम 8 सीपीसी की आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त मामले में आगे यह माना गया कि कथित अतिचार के खिलाफ वाद, भले ही वह समुदाय की ओर से प्रतिनिधि वाद न हो, इस श्रेणी का वाद हो सकता है।

23. मामले को देखते हुए और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, हम मानते हैं कि वादी/प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर वाद कायम रखने योग्य था।

24. अपीलकर्ता के अनुसार यह साबित करने और स्थापित करने के लिए कोई आधिकारिक दस्तावेज पेश नहीं किया गया था और न ही किसी आधिकारिक गवाह की जांच की गई थी कि वाद भूमि एक सार्वजनिक सड़क थी। जिसमें अपीलकर्ता द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इस स्तर पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि वाद शुरू में दो प्रतिवादियों अर्थात्

प्रतिवादी नंबर 1 और प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ शुरू किया गया था। यहां अपीलकर्ता उक्त एफ मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 2 था। जहां तक प्रतिवादी नंबर 1 का सवाल है, रिकॉर्ड से पता चलता है कि क्षेत्र की पंचायत ने निर्णय लिया कि उन दोनों ने सार्वजनिक संपत्ति और सड़क पर अतिक्रमण किया है और इसलिए उन्हें अतिक्रमण हटा देना चाहिए। अभिलेखों से पता चलता है कि पंचायत के उपरोक्त निर्णय के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 ने यह स्वीकार करने के बाद अपना अतिक्रमण हटा दिया कि उसने 10 फीट चौड़ी सड़क के कुछ क्षेत्र पर भी अतिक्रमण किया था, जिसे उसने पंचायत के समक्ष और बाद में स्वीकार किया था। उन्होंने उक्त अतिक्रमण को हटा दिया. उपरोक्त तथ्य पीडब्लू-1 के कथनों से स्थापित होता है। ज्योति पार्षद, पीडब्लू-5 - साधु राम और पीडब्लू-6- राम पाल, जो उक्त पंचायत में उपस्थित थे और उन्होंने भाग लिया था, ने भी पंचायत के समक्ष उक्त स्वीकारोक्ति की पुष्टि की।

25. इसके अलावा, वादी प्रतिवादी संख्या 1. पीडब्लू-3 द्वारा कुल 8 गवाहों की जांच की गई, धर्म सिंह पटवारी, जिनसे मुकदमे में जांच की गई थी, ने बीओओ की रिपोर्ट को साबित कर दिया, जिन्होंने 18.1.1995 को विवादित संपत्ति का दौरा किया था जिसके बाद उन्होंने ने यह प्रमाणित करते हुए एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की कि विवादित सड़क पर अपीलकर्ता द्वारा अतिक्रमण किया गया है। बाल किशन दास, जिनसे पीडब्लू-4 के रूप

में भी पूछताछ की गई थी, ने अपने साक्ष्य में विशेष रूप से कहा था कि उन्होंने वर्ष 1981-82 में एक कॉलोनी बनाई थी और उन्होंने वादी के साथ-साथ प्रतिवादियों और गांव के अन्य निवासियों को भूखंड बेच दिए थे। प्रतिवादी/अपीलकर्ता के भूखंड के पूर्वी हिस्से की ओर उसने 10 फीट चौड़ी सड़क छोड़ दी थी।

26. वादी/प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से पेश किए गए उपरोक्त साक्ष्य के विपरीत, अपीलकर्ता ने खुद को DW-1 के रूप में जांचा, जिसमें उसने केवल यह रुख अपनाया कि विवादित संपत्ति सड़क का हिस्सा नहीं है और प्लॉट खरीदने के बाद उसने मकान का निर्माण किया था और इस ठोस तथ्य के बावजूद कोई आपत्ति नहीं ली गई और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने उक्त विवादित वाद संपत्ति के एक हिस्से पर भी मकान बनाया था।

27. उपरोक्त साक्ष्य की सराहना करने पर, तीनों न्यायालयों अर्थात् उच्च न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय और विचारण न्यायालय ने भी माना कि उपरोक्त विवादित भूमि सार्वजनिक सड़क का एक हिस्सा है जहां अपीलकर्ता ने निर्माण करके अतिक्रमण किया है। घर का हिस्सा, इसलिए उपरोक्त निष्कर्ष तथ्यात्मक निष्कर्ष हैं। सार्वजनिक अधिकारी अर्थात् पटवारी से पूछताछ की गई, जिसने बीडीओ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को साबित कर दिया था कि मुकदमे की संपत्ति का हिस्सा एक सार्वजनिक सड़क है।

28. विस्तार. वादी/प्रतिवादी द्वारा दायर पीडब्लू-7 ए एक साइट योजना है जो साबित करती है और स्थापित करती है कि 10 फीट चौड़ी एक सार्वजनिक सड़क है। जैसा कि पीडब्लू-4 बाल किशन दास के बयान से पता चला है, क्षेत्र के सभी बिक्री कार्यों में, 10 फीट की चौड़ाई दिखाई गई है और उपरोक्त साक्ष्य अप्रमाणित हैं। इस प्रकार वहां 10 फीट चौड़ाई की एक सड़क मौजूद है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि अपीलकर्ता ने 10 फीट चौड़ी उपरोक्त सड़क वाली वाद संपत्ति पर अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति होने पर, हमें विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री में कोई कमजोरी नहीं मिलती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय और दूसरी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है।

29. इसलिए, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं जिसे लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है, जिसका मूल्यांकन हमारे द्वारा रु। 10,000/-. विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पुष्टि की जाती है। यदि अपीलकर्ता आज से 60 दिनों की अवधि के भीतर अनधिकृत अतिक्रमण को खाली करने और हटाने में विफल रहता है, तो वादी/प्रतिवादी नंबर 1 के लिए कानून के अनुसार डिक्री निष्पादित करने का विकल्प खुला रहेगा।

30. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के संदर्भ में, अपील खारिज की जाती है।

बी.बी.बी. अपील खारिज की जाती है।

नोट- यह अनुवाद आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजय कुमार शर्मा-तृतीय (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।